न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

. पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 68/2017 ई.रे.

1– वजेलाल पिता गणेशलाल ब्राहमण नि. मानपुरा(महुडा) तहसील बडीसादडी
2– तोलीराम पिता गणेशलाल ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
3– भंवरी बाई पुत्री गणेशलाल ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
4– सवागी बाई पुत्री गणेशलाल ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
5– रामी बाई पत्नी गणेशलाल ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
– प्रार्थीगण

बनाम

1– भगवतीलाल पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. मानपुरा(महुडा) तहसील बडीसादडी
2– सुरेश पिता चतरभुज ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
3– गोपीलाल पिता गिरधारीलाल ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
4– सोहनलाल पिता गिरधारीलाल ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
5– कमललाल पिता उदयराम ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
6– लक्ष्मण पिता उदयराम ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
7– विजयलाल पिता मोहनलाल ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
8– बालरकु पत्नी मोहनलाल ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
9– वेणीराम पिता प्रेमचंद ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
10– डालचंद पिता प्रेमचंद ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
11– उंकारलाल पिता नारायण ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
12– शंकरलाल पिता नारायण ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
13– रतनलाल पिता नारायण ब्राहमण नि. मानपुरा तहसील बडीसादडी
14– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी
–विपक्षीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बडीसादडी चित्तौडगढ

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि.

// निर्णय // दिनांक :– 31/08/2023

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत खाता संख्या 75 की आराजी नं. 22 रकबा 0.65 है. लगानी 5.20 रूप्या मौजा मानपुरा पटवार हल्का महुडा तहसील बडीसादडी में स्थित होकर आराजी नं. 22 के दक्षिण दिशा में आराजी नं. 23, 24, 25 व 26 स्थित है जिनके पश्चिमी दिशा की पाली पर होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी नं. 22 पर स्वयं तथा कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण जैसे हल, बैल, ट्रेक्टर आदि लेकर जाते है तथा आराजी नं. 26 के दक्षिण मे आम रास्ता है, जिस पर होकर प्रार्थीगण आराजी नं. 23, 24, 25 व 26 की पश्चिमी दिशा में होकर आराजी नं. 22 पर अपने पूर्वजों के समय से आते जाते है तथा अपनी आराजी का शांति पूर्वक उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पास विकल्प मे अन्य कोई मार्ग उपलब्ध भी नहीं है इसलिए उक्त आराजीयात विपक्षीगण के खातेदारी की होकर उक्त आराजीयात के पश्चिम दिशा पर रास्ता कायम किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण की आराजी नं. 22 पर जाने हेतु प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से विपक्षीगण की खातेदारी की आराजीयात नं. 23, 24, 25 व 26 की पश्चिमी दिशा में होकर आते जाते रहे है इसलिए विपक्षीगण के खातेदारी की उक्त आराजीयात के पश्चिमी दिशा मे 10 फीट चौड़ाई में व प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी नं. 22 तक पहुंचने हेतु प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावे तथा इसी अनुसार नक्शे में तरमीम किया जाकर विपक्षीगण की आराजी नं. 23, 24, 25 व 26 के खातेदार काश्तकार है तथा रेवा बाई पत्नी उदयराम की मृत्यु हो चुकी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:55:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

जिसके वारीस उसके पुत्र विपक्षी नं. 5 से 8 है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते में जाने वाली आराजी की किमत विपक्षीगण को अदा करने हेत तत्पर है। विपक्षीगण ने हाल ही में एक माह पूर्व प्रार्थीगण को उनकी आराजी नं. 22 पर जाने हेतु आराजी नं. 23, 24, 25 व 26 के पश्चिमी दिशा पर आने जाने से रोक दिया व लडाई झगडा करने पर आमादा हुए तथा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकिल्पक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नं. 23, 24, 25 व 26 के पश्चिम दिशा में 10 फीट चौड़ाई में प्रार्थीगण के आराजी नं. 22 पर जाने हेतु रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र से तलब किया गया। विपक्षी नं. 3 से 12 की ओर से अधिवक्ता जी.एस. झाला ने वकालतनामा के साथ जवाब प्रस्तुत किया विपक्षी नं. 1, 2, 13, 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित कोई जवाब प्रस्तुत नहीं । प्रार्थना पत्र के जवाब में विपक्षी क्रमांक 1, 2, 9 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा मानपुरा की आराजी नं. 22 रकबा 0.65 हैक्ट भूमि होने के तथ्य अस्वीकार प्रार्थी स्वयं साबित करे कि उक्त आराजी कहां व किसके खातेदारी कि है आराजी नं. 22 के दक्षिण दिशा में आराजी नं. 23, 24, 25 व 26 होने के तथ्य सही होकर स्वीकार है। परन्तु उसके पश्चिम दिशा में पाली होने के तथ्य पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। तथा प्रार्थीगण कभी भी आराजी नम्बर 23, 24, 25 व 26 पर होकर कृषि उपकरण व हल बैल लेकर नहीं गये है। तथा आराजी नं. 26 की पश्चिम दिशा में आम रास्ता होने के तथ्य भी गलत होकर अस्वीकार है। तथा प्रार्थीगण आराजी नम्बर 22 पर कभी भी दक्षिण दिशा की आराजी पर से होकर नहीं गया है। उक्त सभी तथ्य मिथ्या अंकित किये है।

प्रार्थीगण या उसके पूर्वज कभी भी आराजी नम्बर 23, 24, 25 व 26 की किसी भी पाली से होकर आराजी नम्बर 22 पर नहीं गये है तथा प्रार्थीगण के पास आराजी नम्बर 22 ही नहीं होकर उसके लगती हुई अन्य आराजी भी है जो रास्ते से लगी है तथा प्रार्थीगण अपनी ही अन्य आराजी से होकर अपनी आराजी नम्बर 22 पर जाता है। जिसे प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर छुपाया गया है तथा प्रार्थीगण के पास अपना स्वयं का रास्ता है। जो उसकी अन्य आराजी व उससे लगती आराजी में से जाता है तथा अब बिना किसी हक व अधिकार के विपक्षीगण की वादग्रस्त आराजीयात में दखल देने कि नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी के वहां किसी प्रकार का रास्ता कायम कराने एवं उसे रास्ते में दर्ज कराने का अधिकारी नहीं है परन्तु प्रार्थीगण के पास अपनी अन्य आराजी से होकर आराजी नम्बर 22 पर पहुंचने का रास्ता मौजूद है तथा उसी रास्ते पर अपनी आराजी पर आता जाता है। तथा वह तथा उसके पूर्वज कभी भी आराजी नम्बर 23, 24, 25 व 26 पर होकर नहीं गये ना ही वहां कोई रास्ता है। परन्तु केवल नया रास्ता कायम कराने की गरज से व विपक्षीगण की आराजी की किमत कम करने व उनको परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । जो निरस्त योग्य है। तथा प्रार्थीगण उक्त आराजी के किसी भी भुभाग से जो विपक्षीगण की खातेदारी की है उसमें रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है ना ही उक्त रास्ते को नक्शे में तरमीम कराने का अधिकारी है ।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो पर केवल विपक्षीगण को जलील व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया जाने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 251 ए के आधार पर तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी । मौका रिपोर्ट में बताया कि ग्रम मानपुरा की आराजी नं. 22 रकबा 0.65 हैक्ट. भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है उक्त आराजी पर कोई रास्ता रिकोर्ड में दर्ज नहीं है आराजी नं. 22 [illegible] 23, 24, 25, 26 की पश्चिमी मेड से प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया है जिसकी [illegible] 4 मीटर चौडाई 4 मीटर कुल 576 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बनता है। प्रार्थी [illegible] ग्राम की आराजी नं. 79, 82 की मेड पाली से होकर पैदल आ[illegible] मौके पर [illegible] रास्ता नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी [illegible] तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 ए के नियमो के तहत स्वी[illegible] फरमाया जाकर रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील विपक्षी द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 2017 में प्रस्तुत किया जिसके आधार पर दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई प्रार्थीगण आराजी नं. 23, 24, 25, 26 के पश्चिम दिशा में कभी आते जाते नहीं है। प्रार्थीगण के पास अन्य गांव की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:55:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

में से होकर आते जाते है केवल प्रार्थी को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें किसी प्रकार का रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र केवल मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया है इसलिए निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष कारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली एवं मंगायी गई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं स्वयं द्वारा प्रकरणग्रस्त आराजीयात का मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अपने स्वयं की आराजी नं. 22 की भूमि पर आने जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत पेश आवेदन अनुसार विपक्षीगण की आराजी नं. 23, 24, 25, 26 से 10 फीट चौड़ा रास्ता पश्चिम दिशा से रास्ता चाहा गया है। स्वयं के मौका निरीक्षण अनुसार आराजी नं. 26 के दक्षिणी पश्चिमी के कोने पर एक नाला बना हुआ है जिसमें पानी बहाव होता हैं इसी आराजी के खातेदार द्वारा इसी कोने पर एक ट्यूबवेल खोद रखी है एवं खंभे गाडकर विद्युत कनेक्शन करवा रखा है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अपनी आराजी पर जाने आने हेतु वर्तमान में चाहे गये रास्ते का कभी भी उपयोग नहीं किया है। प्रार्थीगण के द्वारा वाद पत्र के कॉलम 2 व 3 मे अंकित तथ्य कि आराजी नं. 26 के दक्षिण में आम रास्ता है जिस पर प्रार्थीगण आराजी नं. 22 पर अपने पूर्वजों के समय से आते जाते रहे है यह मौका निरीक्षण व बहस व अप्रार्थी के जवाब से स्पष्ट होती है कि यह तथ्य मिथ्या प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कॉलम 7 में अंकित यह तथ्य कि उनकी आराजी 22 पर जाने से उनको रोका जाकर उनके पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जवाब बहस व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य व फोटोग्राफ व मौका निरीक्षण के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि प्रार्थी के पारिवारीक रिश्तेदारों की आराजी संख्या 27, 28, 29, 21 आराजी उसी के निकटतम रिश्तेदार की होकर उसकी मेड पर होकर आना जाना किया जा रहा है। क्योकि उसकी मेड करीब 7-8 फीट चौडी बनी हुई है। इन तथ्यों को प्रार्थी द्वारा व कमीश्नर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे वर्णित नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने रिश्तेदारों व परिवार की आराजी से रास्त न चाहकर अन्य आराजी से नवीन रास्ता चाहा गया है जो पूर्व में कभी रास्ता नहीं रहा न प्रार्थी द्वारा कभी उस रास्ते का उपयोग किया गया साथ ही जहां रास्ता चाहा गया है वहां मौके पर बरसाती नाले का बहाव क्षेत्र है जहां रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। फिर भी प्रार्थी वहां रास्ता चाह रहा है। यह संदेह का विषय है साथ ही मौका निरीक्षण के दौरान जो रिश्तेदार किशनलाल पुत्र सुखलाल व अन्य जो सभी प्रार्थी के सहयोगी व साथ थे उनकी आराजी से भी प्रार्थी रास्ता नहीं चाहकर अन्य लोगो अप्रार्थी की आराजी से रास्ता चाह रहा यह न्यायसंगत न होकर संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रार्थी चाहे तो सहज भाव से अपने परिवार के आराजी से रास्ता प्राप्त कर सकता है। जो आराजी संख्या 27, 28, 29 व 21 के मेड से होकर जाता है । प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर झूठा तथ्य प्रस्तुत किया कि मैं खुद अप्रार्थी के रास्ते से आ जा कर रास्ते को उपयोग कर रहा हूं। व बिना किसी हक व अधिकार के वह विपक्षीगण की आराजीयात आराजी नं. 23, 24, 25, 26 में दखल देने कि नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र 251 ए का सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31/08/2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दूबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:55:58 IST
Reason: SelfAttested